

## प्रेस नोट दिनांक 26.11.2020

1. दिनांक 25.11.2020 को वादी उन्नी० श्री दिनेश कुमार पाण्डेय थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि १. सिंकू वर्मा उर्फ योगेन्द्र वर्मा पुत्र लालजी **गिर०** २. शिवम वर्मा पुत्र अरविन्द कुमार वर्मा निं०गण किशुनदासपुर थाना पूराकलन्दर अयोध्या **गिर०** अभिं०गण द्वारा नहर से गुजरने वाली लड़कियों पर छीटाकशी करना व अश्लील गाना गाना। जिसके सम्बन्ध में थाना पूराकलन्दर में मु०अ०सं० 642/20 धारा 294 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 25.11.2020 को वादी श्री मो० सद्दाम पुत्र मो० हुसेन निं० किठांवा थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मो० सुफियान पुत्र फूल मोहम्मद निं० किठांवा थाना रौनाही अयोध्या आदि ०३ नफर अभिं०गण द्वारा वादी को गाली देते हुए मारना पीटना व जान माल की धमकी देना। जिसके सम्बन्ध में थाना रौनाही में मु०अ०सं० 553/20 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 25.11.2020 को वादी श्री आलोक कुमार यादव पुत्र काली प्रसाद यादव निं० भरहूखाता थाना को०बीकापुर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि शेषु पुत्र अजबदार निं० नई बस्ती चौरे बाजार थाना को०बीकापुर अयोध्या आदि ०३ नफर अभिं०गण द्वारा घर में घुसकर मारना पीटना, जान माल की धमकी देना तथा दुकान का कॉच तोड़ देना। जिसके सम्बन्ध में थाना को०बीकापुर में मु०अ०सं० 791/20 धारा 323, 506, 452, 427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 25.11.2020 को वादी श्री राम सागर पाल पुत्र राम जश पाल निं० रेवना थाना इनायतनगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि बोलेरो संख्या यूपी ३६ बी ४९६६ का चालक विनय कुमार निं० अहरन सुबंश थाना इनायतनगर अयोध्या वाहन चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी की पुत्री को टक्कर मार देना जिससे दोनों पैर टूट जाना। जिसके सम्बन्ध में थाना इनायतनगर में मु०अ०सं० ६९५/२० धारा २७९, ३३७, ३३८ भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 25.11.2020 को वादी श्री श्रीनाथ मिश्रा उर्फ दिनेश मिश्रा पुत्र राम प्रसाद मिश्रा निं० नन्दन का पुरवा महौवा थाना को०बीकापुर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या यूपी ४२ एटी ५२५२ ट्रक का चालक व ०३ अज्ञात व्यक्ति वाहन संख्या यूपी ४२ एटी ५२५२ ट्रक के चालक व ०३ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ट्रक को ओवर टेक करके खलासी महेन्द्र वर्मा को मारना पीटना जिससे हाथ टूट जाना, गाली व जान माल की धमकी देना, राड से मारकर गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर देना तथा पर्स में रखा ७००० रु० छीन लेना। जिसके सम्बन्ध में थाना इनायतनगर में मु०अ०सं० ६९६/२० धारा ३२३, ३२५, ४२७, ३९४, ५०४, ५०६ भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

6. दिनांक 25.11.2020 को वादी उन्नी० श्री राम अवतार राम थाना मर्वई अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रोशन लाल पुत्र पर्चई निं० चमारन का पुरवा मजरे गनेशपुर थाना मर्वई अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना मर्वई में मुआ०सं० 476/20 धारा 60 आबकारी अधिं० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

7. दिनांक 25.11.2020 को वादी उन्नी० श्री प्रदीप कुमार सिंह थाना मर्वई अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राम कुमार पुत्र स्व० राम दुलारे निं० नयापुरवा मजरे नरौली थाना मर्वई अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना मर्वई में मुआ०सं० 477/20 धारा 60 आबकारी अधिं० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

8. दिनांक 25.11.2020 को वादी उन्नी० श्री उदयवीर सिंह थाना मर्वई अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राजू पुत्र राम खेलावन रावत निं० बंजारा का पुरवा मजरे मोहम्मदपुर दाउदपुर थाना मर्वई अयोध्या गिर० अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना मर्वई में मुआ०सं० 478/20 धारा 60 आबकारी अधिं० का अभियोग पंजीकृत किया गया।